वन विभाग हरियाणा
आवश्यक सूचना– 8
(काष्ठ आधारित उद्योग)

राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा द्वारा नए लाईसेंस जारी करने हेतु सभी पात्र आवेदकों को ऑन मोड में प्रस्ताव पत्र (आफर लैटर) जारी किए गए हैं। इन सभी आवेदनकर्ताओं को प्रस्ताव पत्र जारी करने की तिथि से एक माह के अंदर लाईसैंस प्राप्त करने से सम्बन्धित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए सूचित किया गया था।

विगत एक सप्ताह में प्रदेश में ''डेरा सच्चा सौदा'' केस के फैसले की वजह से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंटरनैट व एस0एम0एस0 सुविधा हरियाणा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी आवेदनकर्ता जिनको प्रस्ताव पत्र जारी किए गए हैं उनके लिए लाईसैंस प्राप्त करने से सम्बन्धित सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने की समयावधि को अब बढ़ाकर दिनांक 11.09.2017 (सांय 5 बजे तक) कर दिया गया है। सभी आवेदनकर्ता उक्त तिथि तक लाईसैंस प्राप्त करने हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेवें।

28/8/2017

मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा–1, एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा,
सी–18, वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला।